5

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मसारी बनाम रमेश S/o Kalyan ब्राह्मण

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्व एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/8/2018 निर्णय दिनांक :- 25/2/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मसारी की आ.ख.न. 1231 कुल रकबा 0.73 किस्म जमीन गैरमु० रास्ता में से 0.04 रकबे पर श्री रमेश S/o कल्याण ब्राह्मण पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण द्वारा (प्लॉट) कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मसारी द्वारा दिनांक 5/6/18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. पारोंदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रमेश S/o कल्याण जाति ब्राह्मण निवासी मसारी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उप0 नहीं उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1231 रकबा 0.73 में से 0.04 रकबे किस्म गैरमु० रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 37 paise का 50 गुणा 19/- (उन्नीस) रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी मसारी भू.अ.निरी. पारोंदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) (राज.)

प्रतिलिपि :- पृ. ८

रा. पि. सं. 4 के पृष्ठ सं. 50 क्रम सं. 12

वर्ष 2018-19 रकम भरी गई 19/-

को कायमी की गई

(हस्ताक्षर) 12/3/19

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसील कठूमर